



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27012023-243268
CG-DL-E-27012023-243268

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 60]
No. 60]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 27, 2023/माघ 7, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 27, 2023/MAGHA 7, 1944

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 2023

फा. सं. 12015/05/2021-क्यूए. —खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का संख्यांक 34) की धारा 10 की उप-धारा 5 के साथ पठित धारा 45 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण एतद द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, में दिनांक 02 जुलाई, 2021 को प्रकाशित अधिसूचना संख्या फाइल सं. 12015/05/2021-क्यूए में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्, -

सारणी में,

- क्रम संख्या 24 को विलोपित किया जाएगा।
- क्रम संख्या 168 के बाद निम्नलिखित प्रविष्टियां संबंधित कॉलम में अंतः स्थापित की जाएंगी, अर्थात्: -

क्र.सं.	खाद्य विशेषक और प्रयोगशाला का नाम
“169	श्री जयशंकर वी मैसर्स राष्ट्रीय संपार्श्विक प्रबंधन सेवा लिमिटेड, विशाखापत्तनम
170	श्री प्रगास एस मैसर्स टीयूवी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, पुणे
171	श्री रोहित जनार्दन राघटवन मैसर्स राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला (विस्तार केन्द्र रक्सौल)
172	श्री अशोक कुमार पटेल मैसर्स राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला (विस्तार केन्द्र रक्सौल)
173	श्री शशिकांत सारंगम मैसर्स राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला, जेएनपीटी, नवी मुंबई
174	श्री आर. शंमुगनाथन (संविदात्मक) राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला, जेएनपीटी, नवी मुंबई”

जी. कमलावर्धन राव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी
[विज्ञापन-III/4/असा./587/2022-23]

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में फाइल सं. 12015/05/2021-क्यूए, दिनांक 02 जुलाई, 2021 द्वारा प्रकाशित हुई थी और तत्पश्चात निम्नलिखित अधिसूचना संख्याओं द्वारा संशोधित की गई थी:

1. फा.सं. 12015/05/2021-क्यूए, दिनांक 30 नवम्बर, 2021;
2. फा.सं. 12015/05/2021-क्यूए, दिनांक 15 फरवरी, 2022;
3. फा.सं. 12015/05/2021-क्यूए, दिनांक 10 जून, 2022;
4. फा.सं. 12015/05/2021-क्यूए, दिनांक 17 अगस्त, 2022;
5. फा.सं. 12015/05/2021-क्यूए, दिनांक 18 नवम्बर, 2022; और
6. फा.सं. 12015/05/2021-क्यूए, दिनांक 28 नवम्बर, 2022।

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th January, 2023

F. No. 12015/05/2021-QA.—In exercise of the powers conferred under sub section 5 of section 10 read with section 45 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), the Food Safety and Standards Authority of India hereby makes the following amendments in the notification number F.No. 12015/05/2021-QA published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated 2nd July, 2021, namely: -

In the table,

1. serial number 24 shall be omitted;
2. after serial number 168, the following entries shall be inserted in respective columns namely: -

S. No.	Name of the Food Analyst & Laboratory
“169	Mr. Jayashankar V M/s. National Collateral Management Services Limited, Visakhapatnam
170	Mr. Pragass S M/s. TUV India Private Limited, Pune
171	Mr. Rohit Janardhan Raghatwan National Food Laboratory (Extension Center Raxaul)
172	Sh. Ashok Kumar Patel National Food Laboratory (Extension Center Raxaul)
173	Sh. Sasikanth Sarangam National Food Laboratory, JNPT, Navi Mumbai
174	Sh. R. Shanmuganathan (Contractual) National Food Laboratory, JNPT, Navi Mumbai”

G. KAMALA VARDHANA RAO, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./587/2022-23]

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, vide notification number F. No. 12015/05/2021-QA dated 2nd July 2021 and subsequently amended *vide* notification numbers:

1. F. No. 12015/05/2021-QA, dated 30th November 2021;
2. F. No. 12015/05/2021-QA, dated 15th February 2022;
3. F. No. 12015/05/2021-QA, dated 10th June 2022;
4. F. No. 12015/05/2021-QA, dated 17th August 2022;
5. F. No. 12015/05/2021-QA, dated 18th November, 2022; and
6. F. No. 12015/05/2021-QA, dated 28th November, 2022.